

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

13 ¹¹/₁₈

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिफ्त

जज/अधिवक्ता पीएचपी अधिकारी को

अपने कार्य में वकाल पत्रावली अतिम

कार्यवाही हेतु दिनांक 08-1-19

को पेश हो।

08 ⁰¹/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिफ्त

जज/अधिवक्ता पीएचपी अधिकारी को

अपने कार्य में वकाल पत्रावली अतिम

कार्यवाही हेतु दिनांक 06/02/19

को पेश हो।

06 ⁰²/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उषा।
वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रकरण में
पूर्व में दिनांक 04-04-2017 को लीन स्वतन्त्रीय
राजस्व कार्रियों की कुमेटी काबिल कर प्रकरण
में निकलना एवं लघुहस्ताक्षर शान्ते की रिपोर्ट में
कोई भी आपेक्षा माननीय न्यायालय द्वारा जारी
किसे गैर के दिनांक आदिनांक अत्यधिक समय
व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी रिपोर्ट जारी
है तथा प्रार्थित प्रार्थनी कुछ और तब पढ़ने
मार्ग नहीं होने के कारण अत्यधिक व्यक्ति
है। अतः प्रकरण में वकाल वकुलाय उषा
उक्त कुमेटी काबिल किछि सम्मत निर्णय पारित
कराया जावे।

पत्रावली का अलोकन किया गया।
प्रकरण में पूर्व में प्रार्थित द्वारा चाहा
शान्ते शान्ते काबिल दो बार निकलना एवं
लघुहस्ताक्षर शान्ते की रिपोर्ट न्यायालय को
के प्राप्त हो चुकी है। धारा 25(1) राज
काबिलकारी अधिनियम के तहत इच्छा के
मध्य नजर प्रकरण में वकाल वकुलाय उषा
पक्ष कुमेटी गई। दोनो वकाल वकील प्रार्थित
एवं वकील अशान्ति ने क्रमशः अपने अपने
पक्ष एवं जवाब प्रार्थित-पक्ष एतद्वारा तथा जवाब
प्रार्थित पक्ष एवं जवाब प्रार्थित एतद्वारा में संश्लि



नारीख हुक्म

तन्मों के दोहरो के वकील श्रीजि ने मुझे
 कि रिपोर्ट तहसीलदार जवेल शान्त करण के
 आदि जरी इत्ते का निवेदन किया तब भी 16 अ.
 श्रीजि ने श्रीजि का प्राप्ता सत्यप करि. कर
 भाग जरी का निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध
 राजप रेकर्ड का एवं तहसीलदार जवेल के
 प्राप्त निकरतम एवं लघुतम शान्ते शान्त प्राप्त
 रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुंडि धारा
 25। (ए) राजा शरतकारी अधिनियम का बृहद
 उपदेस्य कबलों के अपनी कृषि जोर में पहुँच
 एवं आकाशमन हेतु शान्त उपलब्ध नहीं होने
 पर निकरतम एवं लघुतम शान्ता उपलब्ध क्योना
 है। मुंडि तहसीलदार जवेल ने दो बार अपनी
 रिपोर्ट में श्रीजि द्वारा शान्तकित शान्ते को
 निकरतम एवं लघुतम शान्ता माना है। धारा
 25। (ए) राजा शरतकारी अधिनियम के अन्तर्गत जज
 प्राप्ता का संक्षिप्त विचारण कर निकरतम कसे
 का सावधान है किन्तु हातगत प्रकृत तीन वर्ष
 से भी अधिक समय से विचारधीन है। अतः
 उक्त तन्मों के आलोच में श्रीजि का प्राप्ता
 पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है।

निर्णय

तन ग्राम खोला के प्लॉट नं० 70 रकबा 3.19 है. में
 आकाशमन एवं पहुँच हेतु ख. नं० 72 की वसिवा
 सीमा के सहारे - सहारे 127 मीटर लम्बाई व 4 मीटर
 चौड़ाई में कुल 508 वर्गमीटर क्षेत्र का सिवाय-कु
 (शार्वजनिक शान्त) दर्ज करने के आदेश प्रदान किये
 जाते हैं। तहसीलदार जवेल शान्ते पेटे काम आने वाली
 उक्त भूमि का वर्तमान की एल सी० दर की (गेजुनी) शक्ति
 का आंकलन कर आंकलित शक्ति राजकोष में जमा ली
 जाकर उक्तनुसार राजप रेकर्ड में अमल दायमद
 करावे। शान्त भूमि में यदि कोई अतिक्रमण पाया जावे
 तो उसे हटाते हुए राजप रेकर्ड में अमल दायमद करावे।
 उक्त शान्त शक्ति: शार्वजनिक उपयोग - उपयोग का
 होगा। जमा शक्ति का अंगण अत्रार्थी को दिया जावे।
 पत्रावली प्रेमल सुन्दर होगा मुम्बर से इस दो तन्मों का
 तहसीलदार जवेल के द्वारा दे। निर्णय पुनः न्यायालय में प्रेषण
 गया। 11/11/19
 उपखण्ड अधिकारी
 खण्डेला (सीकर)

